राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

क्रमांकः–एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020–21/537 दिनांकः– 18/12/2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 में अधिसूचित अभिकरणों से प्रत्यक्ष उपापन के अन्तर्गत बोली आमंत्रित किये बिना अधिसूचना संख्या एफ.1 (8) एफ.डी./जी.एफ.एण्ड ए आर /2011 दिनांक 04.09.2013 राजस्थान राज पत्र विशेषांक भाग 4 (ग) (II) दिनांक 04.09.2013 एस.ओ. 135 की क्रम संख्या 23 (क) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर से मिड डे मील योजनान्तर्गत कोविड–19 के दौरान विद्यालय बन्द रहने की अवधि में दिनांक 14 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिये दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स क्रय किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है। कॉनफेड द्वारा राज्य के समस्त जिलों को उनके नाम के सामने लिखी गई मात्रानुसार कॉम्बो पैकिट्स की आपूर्ति की जानी है, उनका विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	जिले का नाम	आवंटित (दाल,तेल,मसाले आदि) कॉम्बो पैकिट की संख्या		
		प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)	योग
1	अजमेर	144098	80908	225006
2	अलवर	170730	87547	258277
3	बांसवाड़ा	183661	79979	263640
4	बारां	86572	38298	124870
5	बाड़मेर	284619	119041	403660
6	भरतपुर	116733	57941	174674
7	भीलवाड़ा	154036	80463	234499

PTO

पता :– प्रशासनिक भवन, डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,जे.एल.एन मार्ग, जयपुर, सम्पर्क –0141–2701694, 2707166, 2701960
ई–मेल mdm-rj@nic.in

www.rajteachers.com

8	बीकानेर	132324	67426	199750
9	बूंदी	70765	37117	107882
10	चित्तौडगढ़	93422	50530	143952
11	चूरु	106813	59150	165963
12	दौसा	63152	38752	101904
13	धौलपुर	90908	38134	129042
14	डूंगरपुर	134672	78378	213050
15	गंगानगर	85884	51689	137573
16	हनुमानगढ़	64527	40366	104893
17	जयपुर	182836	112623	295459
18	जैसलमेर	56667	20452	77119
19	जालोर	116224	55619	171843
20	झालावाड़	94103	47208	141311
21	झुंझुंनु	50445	31759	82204
22	जोधपुर	191130	94396	285526
23	करौली	72498	33742	106240
24	कोटा	69215	36741	105956
25	नागौर	140583	82955	223538
26	पाली	117567	66328	183895

www.rajteachers.com

27	प्रतापगढ़	86061	45133	131194
28	राजसमन्द	89524	52115	141639
29	सवाई माधोपुर	65122	30692	95814
30	सीकर	88988	53689	142677
31	सिरोही	79576	35769	115345
32	टोंक	73940	38799	112739
33	उदयपुर	249173	125738	374911
योग		3806568	1969477	5776045

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड द्वारा विद्यालयों में दाल,तेल मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स की आपूर्ति किए जाने हेतु निम्न शर्तें लागू होगी:

1. आयुक्तालय, मिड डे मील की क्रय समिति द्वारा निर्धारित की गई सामग्री की मात्रा अनुसार पैकिट्स तैयार किये जायेंगे। प्रत्येक कॉम्बो पैकिट में निम्नलिखित तालिका अनुसार सामग्री रखी जायेगी:–

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	कॉम्बो पैकिट में सामग्री की मात्रा	
		प्राथमिक (कक्षा 1 से 5)	उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)
01	चना दाल (FSSAI Standard)	2 किलोग्राम	5 किलोग्राम
02	तेल (सोयाबीन) (FSSAI Standard)	1 लीटर	1 लीटर
03	धनिया पाउडर (एगमार्क)	200 ग्राम	200 ग्राम
04	मिर्च पाउडर (एगमार्क)	200 ग्राम	200 ग्राम
05	हल्दी पाउडर (एगमार्क)	200 ग्राम	200 ग्राम
06	नमक (आयोडाईज) (FSSAI Standard)	1 किलोग्राम पैकिट	1 किलोग्राम पैकिट
07	जीरा(FSSAI Standard)	100 ग्राम	100 ग्राम

2. कॉनफेड की क्रय समिति में आयुक्तालय मिड डे मील के अति. आयुक्त (वित्त) विभाग के प्रतिनिधि के तौर पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित थे। अनुमोदित की गई दरें प्रथम चरण में

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

दिनांक 14 मार्च, 2020 से 30 जून, 2020 (94 दिवस) ,द्वितीय चरण में जुलाई, 2020 से अक्टूबर, 2020 के लिये (97 दिवस) तथा तृतीय चरण में शेष अवधि के लिये के लिये अपरिवर्तनीय रहेगी।

3. राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले कॉम्बो पैक की सामग्री (दाल,तेल,मसाले आदि) के सैम्पल्स के एक–एक आईटम के नमूने आयुक्तालय,मिड डे मील एवं जिलों में स्थित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यालय में रखे जायेंगे। आयुक्तालय से क्रय समिति के अनुमोदन उपरान्त सैम्पल के अनुरूप ही कॉनफेड द्वारा सामग्री के पैकिट्स को विद्यालयों में आपूर्ति की जायेगी।
4. कॉनफेड द्वारा इस आदेश दिनांक से अधिकतम 60 दिवस में कॉम्बो पैकिट्स की विद्यालयों में आपूर्ति की जायेगी।
5. सामग्री FSSAI के मानकों अनुसार व मसाले ऐगमार्क के उपलब्ध कराये जावे। कॉम्बो पैक में नमक (फोर्टीफाईड) एवं खाद्य तेल (विटामीन ए व डी) सहित हो इसकी सुनिश्चितता की जायेगी।
6. दाल,तेल,मसाले आदि के आवंटित मात्रा अनुसार पैकिट्स को सुरक्षित रूप से प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाने का कार्य कॉनफेड द्वारा किया जायेगा।
7. कॉनफेड द्वारा कॉम्बो पैकिट्स को गनी बैग्स में डालकर अच्छी तरह सिलाई कर तैयार किया जायेगा। कॉम्बो पैकिट्स पर विभाग द्वारा निर्धारित Text (मात्रा/विवरण आदि) प्रिन्ट किये जायेंगे।
8. दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट्स विद्यालयों तक आपूर्ति करते समय Water Proof तिरपाल द्वारा अच्छे तरीके से ढक कर रखेंगे ताकि वर्षा आदि से भीगने की सम्भावना न रहे।
9. कॉनफेड द्वारा कॉम्बो पैक में सामग्री की आपूर्ति पैकिंग में की जायेगी। यदि कोई सामग्री गीली, क्षतिग्रस्त, पैकिट फटा हुआ एवं किन्हीं कारणों से उपयोग लेने योग्य नहीं पाया गया तो उसे संस्थाप्रधान/मिड डे मील प्रभारी द्वारा आपूर्ति नहीं ली जावेगी तथा उसके स्थान पर सही गुणवत्ता वाली सामग्री कॉनफेड द्वारा पुनः आपूर्ति की जावेगी।
10. यह सुनिश्चित किया जाये कि दाल,तेल,मसाले आदि पूरी मात्रा में सुरक्षित रखे जायें। दाल,मसाले आदि में किसी भी प्रकार के कीडे, मकौडे, इल्लियां, घुण व धुल मिट्टी व चूहे आदि नहीं हो। यह भी ध्यान रखा जावे कि इनको सुरक्षित रखने के लिए किसी

पता :– प्रशासनिक भवन, डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,जे.एल.एन मार्ग, जयपुर, सम्पर्क –0141–2701694, 2707166, 2701960
ई–मेल mdm-rj@nic.in

www.rajteachers.com

भी प्रकार के जहरीले कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाये। मसालों आदि में फफुंद न हो इसकी भी सुनिश्चितता की जाये।

11. खाद्य तेल की आपूर्ति अलग से सुरक्षित ढंग से आपूर्ति की जाये ताकि अन्य सामग्री खराब न हो।
12. आपूर्ति की जा रही सामग्री के पैकिट्स पर उत्पादन तिथि (Mfg.date) एवं वैधता तिथि (Exp. date) अंकित होनी चाहिए।
13. कॉनफेड द्वारा दाल,तेल,मसाले आदि विद्यालयों तक सुपुर्द करने के दौरान किसी भी प्रकार से सामग्री खराब/नष्ट होती है अथवा कम पाई जाती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी कॉनफेड की होगी तथा तत्काल सम्बन्धित विद्यालय को उच्च गुणवत्तापूर्ण सामग्री के पैकिट्स की आपूर्ति की जायेगी।
14. विद्यालयों में कॉम्बो पैकिट्स की आपूर्ति कार्य दिवस में की जायेगी तथा संस्थाप्रधान को एक दिवस पूर्व परिवहन ठेकेदार द्वारा अवगत कराया जायेगा।
15. कॉनफेड के अधिकृत परिवहन ठेकेदार दाल,तेल,मसाले आदि के कॉम्बो पैकिट संस्थाप्रधान/मिड डे मील प्रभारी को उपलब्ध कराकर इसकी प्राप्ती रसीद/चालान पांच प्रतियों में प्राप्त करेगा। एक प्रति विद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।
16. संस्थाप्रधान/पोषाहार प्रभारी पैकिट्स एवं मात्रा की गणना, सामग्री के मिलान उपरान्त ही परिवहन ठेकेदार को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायेंगे। प्राप्ति रसीद पर विद्यालय का नाम, हस्ताक्षर मय सील, नाम एवं पदनाम एवं प्राप्त सामग्री की मात्रा एवं पैकिट संख्या स्पष्ट तौर पर अंकित किये जायेंगे।
17. सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि में कॉनफेड द्वारा आपूर्ति की जा रही सामग्री की रैण्डम सैम्पल्स की एनालिसिस रिपोर्ट मय गुणवत्ता की पुष्टि हेतु राष्ट्रीय प्रयोगशाला अनुसंधान प्रत्यापन बोर्ड (N.A.B.L.) द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला से कराकर इसकी रिपोर्ट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को बिल प्रस्तुत करते समय उपलब्ध करायेंगे।
18. कॉम्बो पैकिट्स के भुगतान के सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी किये जायेंगे।
19. विभागीय अधिकारियों को सामग्री निरीक्षण करने का अधिकार होगा। निरीक्षण के समय नमूनों की जांच में जो सामग्री गुणवत्तापूर्ण नहीं पाई जाएंगी, उन्हें रद्द किया जायेगा तथा निश्चित किये गये समय के भीतर कॉनफेड द्वारा अपनी स्वयं की लागत पर बदला जायेगा।
20. मिड डे मील विभाग द्वारा भी रेन्डम सैम्पल्स की सरकारी प्रयोगशाला के माध्यम से जांच कराई जा सकेगी।

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

21. कॉनफेड तौल मापक यंत्र (Eletronic Kanta) सामग्री आपूर्ति के समय साथ में लेकर जायेंगे।
22. राज्य / जिला / ब्लॉक स्तर के किसी भी अधिकारी द्वारा सामग्री की जांच करने पर यदि प्रथम दृष्टया गुणवत्ता संतोषप्रद नहीं पाई जाती है एवं सामग्री तौल में कम पाई जाती है तो उसे कॉनफेड द्वारा शीघ्र बदला जायेगा।
23. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय,प्रारम्भिक शिक्षा उक्त आवंटन का ब्लॉकवार उप आवंटन करेंगे।

Bhl/10 18-12-20.
(डॉ. भंवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

क्रमांकः—एफ 4(142) प्रा.शिक्षा / एमडीएम / एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ0वि0आ0 / पार्ट / 2020—21 / 537 दिनांकः— 18/12/2020

प्रतिलिपि :—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार,जयपुर।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान , जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान , जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग,राजस्थान,जयपुर।
5. निजी सचिव, रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग,राजस्थान,जयपुर।
6. संयुक्त सचिव, (ईई.1) भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग,नई दिल्ली।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
8. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक,राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर ।
10. सचिव, राजस्थान मदरसा बोर्ड,जयपुर।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
13. समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
14. समस्त पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
15. समस्त उपायुक्त कार्यालय हाजा।
16. समस्त सदस्य विभागीय क्रय समिति।
17. लेखा शाखा ।
18. प्रभारी आईटी शाखा विभागीय पोर्टल पर अपलोड एवं सम्बन्धित को ईमेल हेतु।
19. रक्षित पत्रावली।

(धूपेन्द्र कुमार जैन)
अति.आयुक्त (वित्त)

www.rajteachers.com

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर
237, द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर
Tel. & Fax : 0141-2740095, 2740098, 2741679 E-mail : confedmd@gmail.com

क्रमांक : संघ की व्यवसायिक नियमावली / 07 / 2020–21 तथा RTTP Act 2012 एवं नियम 2013 / 6659-6663 दिनांक : 18.12.2020

Email : mdm-rj@nic.in

आयुक्त,
आयुक्तालय, मिड–डे–मील
प्रशासनिक भवन, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल,
जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

विषय : मिड–डे–मील कार्यक्रम अन्तर्गत दाल, तेल, मसाले आदि के कॉम्बों पैकिट्स की आपूर्ति की दरों के संबंध में।

संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक एफ 4(142)प्रा.शि. / एमडीएम / ए.सी.आई / खाद्यान्न उ. वि.आ. / पार्ट2020–21 / 503 दिनांक 07.12.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि संघ द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 31 के अन्तर्गत पूर्व अर्हता प्रक्रिया द्वारा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को पैनेलित किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की गयी थी। उक्त उपरान्त तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की सूची तैयार की गयी।

आपके बैठक कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 502 दिनांक 07.12.2020 के बिन्दु संख्या 4 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त (वित्त) को संघ की उपापन समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किया गया। वित्तीय बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया में उपापन समिति के सदस्य तथा नामित सदस्य सम्मिलित रहे।

संघ द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 31 के अन्तर्गत पूर्व अर्हता प्रक्रिया द्वारा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं को पैनेलित किये जाने के लिए ई–बोली क्रमांक 5056 दिनांक 20.10.2020 ई–प्रोक के माध्यम से दिनांक 31.10.2020 तक मांगी गई थी। उक्त उपरान्त वित्तीय बोली सफल बोलीदाताओं से वित्तीय ई–बोली संख्या 6342–6348 दिनांक 11.12.2020 को जारी कर दिनांक 16.12.2020 को सायं 4.30 बजे उपस्थित बोलीदाताओं तथा निविदा कमेटी के समक्ष खोली गयी तथा बातचीत (Negotiations) उपरान्त एल–1 की दरें प्राप्त हुई :–

क्रमांक	सामग्री का विवरण	निर्धारित मापदण्ड	आयुक्तालय द्वारा संभावित मांगे जाने वाली पैकिंग	दर प्रतिकिलों / लीटर समस्त कर सहित
1	चना दाल	FSSAI Standard	1 किलोग्राम / 2 किलोग्राम / 3 किलोग्राम	70.52
2	तेल (सोयाबीन) (With Vitamin A&D)	FSSAI Standard	500 मिली. / 1 प्रति लीटर में	122.39
3	धनिया पाउडर	एगमार्क	100 / 200 / 500ग्राम	243.91
4	मिर्च पाउडर	एगमार्क	100 / 200 / 500ग्राम	186.11

D/letter pad of confed H.O Hindi

www.rajteachers.com

राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर
237, द्वितीय तल, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर
Tel. & Fax : 0141-2740095, 2740098, 2741679 E-mail : confedmd@gmail.com

5 6	हल्दी पाउडर जीरा	एगमार्क FSSAI Standard	100/200/500ग्राम 100 ग्राम/200 ग्राम	186.13 244.87
7	नमक (Fortified with iodized)	FSSAI Standard	1 प्रति किलोग्राम	15.67
8	डोर स्टेप डिलीवरी के अन्तर्गत (वांछित कॉम्बों पैकिट्स प्रिन्टेड डिलीवरी बैंग दो पृथक रंगों में (प्रारूप संलग्न), कोम्बों पैकिंग, फारवर्डिंग, परिवहन लोडिंग, अनलोडिंग आदि समस्त व्यय जिस पर 18 प्रतिशत जीएसटी सहित गणना कर अंकित करें।			23.12

उक्त सभी खादय सामग्री पर दी गयी दरों के अतिरिक्त संघ की व्यवसायिक नियमावली जो रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर द्वारा लागू की गयी है, के अनुसार तथा मिड–डे–मील द्वारा निर्धारित कॉम्बों पैक की राशि को ध्यान में रखकर उक्त खाद्य सामग्री (डोर–स्टेप डिलीवरी के चार्जेज को छोड़कर) पर उपापन समिति की अनुशंषा अनुसार 2.25 प्रतिशत संघ मार्जिन पृथक से जोड़ा जायेगा। कृपया दी गयी दरों के आधार पर कॉम्बों पैकिट्स में रखी जाने वाली सामग्री की पृथक–पृथक मात्रा बतलाते हुए क्रय आदेश जारी करने का कष्ट करें, ताकि माल आपूर्ति आरम्भ की जा सकें।

प्रस्तावित दरों की वस्तुओं के सैम्पल तथा उक्त के एनएबीएल प्रयोगशाला से मान्यता प्राप्त एफ.एस.एस.ए.आई के मापदण्ड के अनुसार जाँच रिपोर्ट पृथक से पत्र के माध्यम से भिजवायी जा रही है।

भवदीय

www.rajteachers.com

(वी.के. वर्मा)
प्रबन्ध संचालक

क्रमांक : संघ की व्यवसायिक नियमावली/07/2020–21 तथा RTTP Act 2012 एवं नियम 2013/ 6659-6663 दिनांक : 18.12.2020

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रशासक महोदय, कॉनफैड, जयपुर
2. महाप्रबन्धक, कॉनफैड, जयपुर
3. वित्त अधिकारी, कॉनफैड, जयपुर
4. प्रबन्धक, नागरिक आपूर्ति
5. संबंधित पत्रावली

प्रबन्ध संचालक
18/12/20